



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18032026-271038  
CG-MH-E-18032026-271038

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 183]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

शुद्धि-पत्र

मुंबई, 16 मार्च, 2026

फा. सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ/जीएन/2026/298.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की तारीख 3 मार्च, 2025 की अधिसूचना फा. सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ/जीएन/2025/233 (जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित हुई थी) में, विनियम (XCIII) में दिए हुए शब्दों, चिह्नों तथा अंक “अनुसूची-X के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची आ जाएगी, अर्थात्,-” को शब्दों, चिह्नों तथा अंक “अनुसूची-X में, अनुसूची का शीर्षक और उसके भाग-क, भाग-ख तथा भाग-ग के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-” के रूप में पढ़ा जाएगा।

बबिता रायडु, कार्यपालक निदेशक  
[विज्ञापन-III/4/असा./759/2025-26]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

CORRIGENDUM

Mumbai, the 16th March, 2026

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/298.—In the notification of the Securities and Exchange Board of India F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/233 dated March 3, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, in regulation (XCIII), the words and symbols “Schedule X shall be substituted with the following schedule, namely,-” shall be read as “In Schedule X, the schedule heading and Part A, Part B and Part C thereof shall be substituted with the following, namely,-”.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./759/2025-26]